में प्राप्ति की तिथि 27.6.18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(सेतु विंग)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक : 3217/5सेतु-31/2018 दिनांक : 27.06.2018

सेवा में,
समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 ।

विषय: प्रदेश में सेतुओं के स्थल-चयन के सम्बन्ध में ।
संदर्भ: इस कार्यालय का परिपत्र संख्या-1913/5सेतु-31/2004-05 दिनांक 28.12.04

कृपया विषयगत प्रकरण में संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है। उक्त परिपत्र के अनुसार सेतुओं के स्थल-चयन हेतु निम्न प्रकरण स्थल-चयन समिति गठन के आदेश पारित किये गये हैं :-

(I) **स्थल-चयन समिति (स्तर-1)**

यह समिति 1000 क्यूमेक्स से अधिक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं एवं रेल उपरिगामी सेतुओं के लिए है जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1- महाप्रबन्धक (पकिल्पना), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 ।
2- उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के निर्माण से सम्बन्धित महाप्रबन्धक ।
3- लो0नि0वि0 के सम्बन्धित वृत्त अधीक्षण अभियन्ता ।

(II) **स्थल-चयन समिति (स्तर-2)** -

यह समिति 1000 क्यूमेक्स तक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं के लिए है जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1- प्रबन्धक (परिकल्पना), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 ।
2- उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के सेतु निर्माण से सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/उप-परियोजना प्रबन्धक ।
3- लो0नि0वि0 के सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ।

(सी0 एस0 गुप्ता)
मुख्य परियोजना प्रबन्धक (परिकल्पना)

उपरोक्त स्तर-1 की समिति 100 मी0 से अधिक लम्बाई अथवा 1000 क्यूमेक्स से अधिक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं एवं रेलवे प्रतिनिधि के साथ रेल उपरिगामी सेतुओं तथा स्तर-2 की समिति 100 मी0 तक लम्बाई अथवा 1000 क्यूमेक्स तक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं का स्थल-चयन करेंगे ।

संज्ञान में आया है कि लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड के कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा स्थल-चयन समिति के स्थलीय निरीक्षण हेतु अवर अभियन्ताओं को भेजा जा रहा है व स्थल-चयन आख्या पर मात्र हस्ताक्षर किये जा रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं उत्तरदायित्वविहीन है ।

Scanned with CamScanner

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त अभियन्ताओं को कड़े निर्देश जारी कर दिये जायें कि वह अपनी सक्षमता के अनुसार ही सेतुओं के स्थल-चयन हेतु स्थलीय निरीक्षण में स्वयं प्रतिभाग करें।

27/6/18

(वी0के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि :-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को उनके द्वारा मौखिक रूप से अवगत करायी गयी वस्तुस्थिति के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0 को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

3- अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।

4- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0 को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

5- अधिशासी अभियन्ता, बी0डी0डी0-3/ 6/ बीएमसी, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, लखनऊ।

सं॰ प्र॰ नि॰ (नि॰/परि॰)/
समस्त अंचल प्रभारी

प्र॰ नि॰
27/6/18

MD-1785
27/6/18

पत्र प्राप्ति का दिनांक 29.06.18
CPM (Des.) 1660 — 30/6/18

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक : [illegible]/3 सेतु-31/2001 2005 दिनांक : [illegible] 2.2004

परिपत्र

उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1641सी/23-लो0नि0अनु0-1-126सी/88, दि0 19.04.1988 एवं 416सी/23-लो0नि0 अनु0-1-126सी/88, दि0 [illegible].2.1989 तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के पत्रांक 3637ई-एसी/663 [illegible]-59 दि0 1[illegible].1988 के क्रम में इस कार्यालय के परिपत्र सं0 425/5सेतु/89, दि0 28.03.1989 द्वारा सेतुओं के स्थल-चयन हेतु निम्न समितियां गठित की गयी थी :

स्थल-चयन समिति (स्तर-1)

यह समिति 1000क्यूमेक्स से अधिक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं के लिए है जिसमें निम्न सदस्य हैं :-

(i)- अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त, लो0नि0वि0 लखनऊ।

(ii)- अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 के संबंधित वृत्त के।

(iii)- महाप्रबन्धक, संबंधित क्षेत्र के, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0।

स्थल-चयन समिति (स्तर-2)

यह समिति 1000 क्यूमेक्स तक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं के लिए हैं जिनमें निम्न सदस्य हैं :-

(i)- 31वां वृत्त के अधीन अधिशासी अभियन्ता।

(ii)- अधिशासी अभियन्ता, संबंधित खण्ड, लो0नि0वि0।

(iii)- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0।

कालान्तर में व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप अब सेतुओं के विस्तृत सर्वेक्षण कार्य, प्रारम्भिक आगणन, डी0पी0आर0 तथा विस्तृत परिकल्पना का कार्य सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है। शासनादेश सं0 3608/23-11-2004-40ई/04, दि0 15.09.04 में निहित प्राविधानों के अनुसार अब पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 के सम्बन्धित खण्डों द्वारा किया जाता है। इन बदली हुई परिस्थितियों में अब सेतुओं के स्थल-चयन समितियों में अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त/अधीनस्थ खण्डों के अधिशासी अभियन्ता का रहना प्रासंगिक नहीं रह गया है। स्थल-चयन समिति में सेतु की सर्वेक्षण, परिकल्पना, निर्माण एवं पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण से संबंधित अभियन्ताओं के प्रतिनिधित्व के दृष्टिगत स्थल-चयन समिति का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। इस क्रम में पूर्व गठित स्थल-चयन समितियों का पुनर्गठन निम्न विवरणानुसार किया जाता है :-

(1)- स्थल-चयन समिति (स्तर-1)

(i)- महाप्रबन्धक (परिकल्पना) उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0।

(ii)- उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के निर्माण से संबंधित महाप्रबन्धक।

(iii)- लो0नि0वि0 के संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता।

(2)- स्थल-चयन समिति (स्तर-2)

(i)- महाप्रबन्धक (परिकल्पना), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0।

(ii)- उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के सेतु निर्माण से संबंधित परियोजना प्रबन्धक/उप परियोजना प्रबन्धक।

(iii)- लो0नि0वि0 के संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता।

उपरोक्त स्तर-1 की समिति 100 मीटर से अधिक लम्बाई अथवा 1000 क्यूमेक्स से अधिक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं एवं रेलवे के प्रतिनिधि के साथ रेलवे उपरिगामी सेतुओं तथा स्तर-2 की समिति 100 मीटर तक लम्बाई अथवा 1000क्यूमेक्स तक परिकल्पित जलप्रवाह वाले सेतुओं का स्थल-चयन करेगी।

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

Scanned with CamScanner

[illegible] समितियाँ स्थल-चयन करते समय जलीय आंकड़ों के प्रत्येक बिन्दु पर विचार करते हुए जलपथ [illegible] के सेतुओं की दर-व्यवस्था तथा सेतु की विविध आवश्यकताओं जैसे पैदल पथ, विद्युत प्रकाश व्यवस्था, सीवर तथा [illegible] ले जाने की आवश्यकता आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्णय लेगी।

[illegible] उ०प्र० राज्य सेतु निगम की संबंधित इकाई द्वारा सर्वेक्षण शीट एवं परिकल्पित जलप्रवाह की सूचना उपलब्ध कराये जाने [illegible] स्थल-चयन समिति के निरीक्षण की तिथि निर्धारित कराना, स्थल-चयन समिति से सेतु स्थल का निरीक्षण कराना तथा स्थल-चयन आख्या तैयार करने से संबंधित समस्त कार्यवाही समिति-1 के मामले में सेतु निगम के निर्माण से संबंधित महाप्रबन्धक तथा समिति-2 के मामले में सेतु निगम के निर्माण से संबंधित इकाई प्रभारी द्वारा की जायेगी।

इन आदेशों के निर्गत होने के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत परिपत्र सं0 425/5सेतु/89, दि0 28.03.1989 एवं परिपत्र सं0 121पी0डब्लू0/1749एम0टी0/52-121/96, दि0 25.04.96 को निरस्त समझा जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

ह0 ! –
(ए0सी0 मित्तल)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक :- 1913 /5 सेतु-31/2004-2005 दिनांक :- 28.12.2004

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं पारित आदेशों के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सेतु विंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता .... क्षेत्र, लो0नि0वि0 .... को इस आशय से प्रेषित कि वह इन आदेशों की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं को प्राप्त कराकर इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, डाटा मूल, लो0नि0वि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता, सेतु परिकल्पना खण्ड सं0-3/6/एम0आई0डी0, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. शिविर सहायक, प्रमुख अभियन्ता (विकास), उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ।

Diary No. 1904 B.D.D.-6
File No. 101-सामान्य
Date 30-12-2004

प्रमुख अभियन्ता (विकास)